श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

बिहार सरकार

श्री मुरारी प्रसाद गौतम
माननीय मंत्री

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23

वार्षिक कार्यक्रम 2023–24

प्रस्तावना

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारत के संविधान में 'पंचायतों' से संबंधित भाग IX को जोड़ा गया है। साथ ही इसमें 'ग्यारहवीं अनुसूची' भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें पंचायतों को प्रशासनिक नियंत्रण सौंपे जाने से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। इसमें स्थानीय स्व–शासन को सुदृढ़ करने तथा ग्राम–स्तर पर 'जिम्मेदार और संवेदनशील' नेतृत्व विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास किये गये हैं। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहण कर सकें, इसके लिए अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर न्याय पीठ के तौर पर ग्राम कचहरी का एक विशिष्ट पहलू है। ग्राम कचहरी द्वारा घर–समाज के झगड़ों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटान का प्रावधान है। ग्राम कचहरी द्वारा आपराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 142, 145, 147, 151, 153 आदि में भी सुनवाई करने का प्रावधान है।

2. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निधि सुगमतापूर्वक एवं त्वरित गति से हस्तांतरित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं सम्बद्ध कर्मियों के सतत् प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र तथा सभी 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें से 03 जिलों में पंचायत संसाधन केन्द्रों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 35 जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3. पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्राम पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन किया जा

रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग को आवंटित 58003 वार्डों में लगभग 67000 योजनाएँ हैं। वर्त्तमान में 57767 वार्डों में जल की आपूर्त्ति की जा रही है। अवशेष बचे हुए लगभग 520000 गृहों में भी शत–प्रतिशत जल की आपूर्त्ति करने का लक्ष्य है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस योजना से लगभग 96 लाख परिवारों को पेयजल का कनेक्शन दिया जा चुका है। विभाग स्तर से इस योजना का लगातार अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस निमित्त सभी जलापूर्त्ति योजनाओं में सूचना सूचना प्रावैधिकी आधारित IOT (Internet of things) Device लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से योजना की क्रियाशीलता का एकीकृत अनुश्रवण सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। वार्ड स्तर पर सतत् संचालन हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति बनाई गई है एवं वार्ड स्तर पर 68000 अनुरक्षक का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत गाँवों में बसावटों के अंदर गलियों का पक्कीकरण किया गया है। इस योजना के तहत कुल 114507 वार्डों में लगभग 273000 उप योजनाएँ हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त छुटे हुए बसावटों में लगभग 1.94 लाख गलियों का पक्कीकरण भी इस वर्ष करने का लक्ष्य है। घरों से निकलने वाले पानी के निस्तारण के लिए नालियों में सोख्ता की व्यवस्था की गई है एवं ग्रामीण इलाकों में आवश्यकतानुसार जल भंडारण संरचनाएँ बनाई जा रही हैं। गाँव की गलियों में पेभर ब्लॉक के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ₹200.00 करोड़ रूपये मात्र की राशि का प्रावधान कराया गया है।

4. पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं यथा–मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, पंचायत सरकार भवन, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप–केन्द्र का निर्माण आदि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का सतत् अनुश्रवण पंचायत निश्चय सॉफ्ट के माध्यम से किया जा रहा है। योजना का ब्यौरा, भौतिक प्रगति, निरीक्षण, राशि का हस्तानान्तरण, योजनाओं का फोटोग्राफ एवं Geo Tagging आदि से संबंधित सूचना इस वेबसाईट पर पर प्रदर्शित है। भविष्य में इसमें क्रय की जाने वाली सामग्री एवं श्रमिको को दी जाने वाली मजदूरी, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि भी प्रदर्शित करने की योजना है। यह वेबसाईट Public Domain पर उपलब्ध है।

5. सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक किया जाना है। यदि कोई क्षेत्र छूट जायेंगे तो अगले

वित्तीय वर्ष में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा एवं रख–रखाव अगले पाँच वर्ष तक जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी, जिनका रख–रखाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंचायत में चार–चार वार्डों का कार्य पूरा किये जाने की योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 5465 दिनांक 17.09. 2021 एवं पत्रांक 7335 दिनांक 29.07.2022 द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश संसूचित है।

6. 15वें वित्त आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए लागू है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के लिए Tied एवं Untied के रूप में कुल ₹19561.00 करोड़ (उन्नीस हजार पाँच सौ इकसठ करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की राशि अनुशंसित है। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली उक्त अनुदानों की राशि को राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Tied एवं Untied के रूप में कुल ₹3842.00 करोड़ (अड़तीस अरब बयालीस करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की राशि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) को उपलब्ध कराई गई है।

7. 15वें वित्त आयोग की अनुषंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भ्मंसजी ैमबजवत ळतंदज की कुल ृ4802.88 करोड़ (अड़तालीस अरब दो करोड़ अट्ठासी लाख रूपये) मात्र की राषि भारत सरकार से प्राप्त होनी है। इस राशि से राज्य में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य ढाँचा को सुदृढ़ करना एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाना है, ताकि वे किसी तरह की स्वास्थ्य आपदा (यथा– कोविड–19 आदि) की स्थिति में अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके।

8. षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए लागू किया गया है। इस योजना की राशि को राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में वितरित किया जाना प्रावधानित है। पंचायती राज संस्थाओं को यह राशि विकास निधि (30%), अनुरक्षण निधि (20%) एवं समान्य निधि (20%) के रूप में उपलब्ध होगी। इस राशि का उपयोग राज्य स्कीम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, नागरिक सेवाओं यथा–पेयजल आपूर्त्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का संग्रहण

व निपटान, स्ट्रीट लाईट, श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान का निर्माण, क्षमतावर्द्धन, स्थापना एवं प्रशासनिक मद, परिसम्पतियों के अनुरक्षण आदि मदों में किया जा सकेगा।

9. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य की 8057 कुल ग्राम पंचायतों में से अब तक 3200 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें से 1491 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अवशेष निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों को जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त के अलावे लगभग 1800 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था कर दिया जाना है। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में एक बड़ी बाधा ग्राम पंचायत के मुख्यालय गांव में भूमि उपलब्ध नहीं होना रहा था। इस पर विचार करते हुए यह अनुमान्य किया गया है कि मुख्यालय गाँव में उपयुक्त भूमि अनुपलब्ध रहने पर ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। इस संशोधन से अधिकांश ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है। पंचायत सरकार भवन की सुरक्षा एवं साफ–सफाई हेतु भी व्यवस्था की जा रही है।

10. सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' का संकल्प लिया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर, 2021 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत टाईड अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ODF) Status के सतत् रख रखाव हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण में अभिसरण कर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

नगर निकाय के तर्ज पर गाँव को विकसित करने हेतु सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बस पड़ाव का निर्माण, शवदाहगृह/विद्युत शवदाहगृह, प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत समिति सरकार भवनों का निर्माण, बेलट्रॉन के मानक के अनुरूप CCTV कैमरा अधिष्ठापित किये जाने, पार्क, पार्क में Open जिम, खेल का मैदान आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना से GPDP, BPDP, DPDP आदि पर भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्य को सफल

बनाने हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किया गया है। जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

11. जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई Tied Grant की राशि से कुल लक्षित 36171 अदद् सार्वजनिक कुँओं में से 15333 कुँओं का जीर्णोद्धार एवं 8163 सोख्ताओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

12. राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियमित निरीक्षण को सशक्त करने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि की गई है। पूर्व में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 528 पद थे, जिन्हें बढ़ाकर 716 कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित एवं अनुशंसित 161 (एक सौ इकसठ) प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए विभिन्न प्रखण्डों में पदस्थापित किया गया है। वर्त्तमान में कुल 533 प्रखण्डों में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों के स्वीकृत पद के विरूद्ध 448 प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी पदस्थापित हो गये हैं।

बिहार पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का नियमित अंकेक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान के क्रम में बिहार पंचायत राज अंकेक्षण सेवा का गठन किया गया है और 373 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर सेवानिवृत्त अंकेक्षकों की सेवा लेकर व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा पंचायत सचिवों के 3127 पदों की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई गई है, जिसे जिलों को अधियाचित पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेज दी गई है। अबतक लगभग 2692 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिकों की व्यवस्था हेतु कुल 9899 (नौ हजार आठ सौ निन्यानवे) पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है।

13. राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में सूचना प्रावैधिकी का विकास करने तथा ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक–एक कार्यपालक सहायक के पदस्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की 8057 पंचायतों में से सम्भवतः 7829 पंचायतों में कार्यपालक सहायक कार्यरत है। इन कार्यपालक सहायकों के माध्यम से पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही विभिन्न योजनाओं के अभिलेखों के रख–रखाव, अनुश्रवण एवं ऑनलाईन प्रविष्टि में काफी सहूलियत हुई है। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के केन्द्रों का संचालन संभव हो पाया है। इस व्यवस्था से आम नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए अब प्रखंड स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इससे जन साधारण को काफी सहूलियत हुई है।

विभाग की योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई में (SPMU) में कुल 12 SQM कार्यरत हैं। साथ ही जिला स्तरीय प्रबंधन इकाई में (DPMU) में कुल 48 DQM कार्यरत है।

SQM एवं DQM के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभाग स्तर पर प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। राज्य सरकार ने चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायक एवं चार पंचायत पर एक लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक की व्यवस्था की है। वर्त्तमान में तकनीकी सहायकों के कुल 2096 स्वीकृत पदों में से 1571 पदों पर तकनीकी सहायक कार्यरत हैं। इन सभी के पदस्थापन होने से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही योजनाओं का प्राक्कलन बनाने, तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मापी में गति आ गई है।

ग्राम पंचायत के लेखों के उचित रख–रखाव एवं अंकेक्षण की दुरूस्त व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुल 2096 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1743 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक कार्यरत हैं। इससे पंचायतों के प्रशासन में काफी सहूलियत मिल पायी है।

14. सदन को यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए उन्हें कर/फीस लगाने की शक्तियाँ प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पंचायतों की वित्तीय स्थिति सशक्त होगी, जिससे पंचायतें अपनी गतिविधियों को और व्यापक कर सकेंगी।

15. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना/मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली निश्चय योजना/सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाओं आदि का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को बड़े पैमाने पर धन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Tied एवं Untied के रूप में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹3709.00 करोड़ रुपये मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹3842.00 करोड़ रुपये मात्र अनुदान की राशि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹3261.22 करोड़ रुपये मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल ₹3756.81 करोड़ रुपये मात्र अनुदान की राशि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) को उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में राज्य के जिला परिषदों में स्थित अभियंत्रण संवर्ग में तकनीकी पदाधिकारियों की संख्या की अत्यन्त कमी होने के कारण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन एवं तकनीकी अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण योजनाओं के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के व्यापक कार्यक्षेत्र को देखते हुए पंचायती राज विभाग के

नियंत्रणाधीन ''पंचायती राज अभियंत्रण संगठन'' गठित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

16. राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए कृत संकल्प है।

शुभकामनाओं सहित,

(मुरारी प्रसाद गौतम)
मंत्री,
पंचायती राज विभाग।

पंचायती राज विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 38 जिला परिषदें, 533 पंचायत समितियाँ, 8057 ग्राम पंचायतें एवं 8057 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद के मुख्य शीर्ष 2515, 4059 एवं 4515 में ₹1307.05 करोड़ (तेरह अरब सात करोड़ पाँच लाख रूपये) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 में ₹9174.20 करोड़ (इक्कायनवें अरब चौहत्तर करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की राशि का उपबंध है (विवरणी परिशिष्ट 2 एवं 3)।

2. केन्द्रीय वित्त आयोग

(क) 15वाँ वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए रिपोर्ट)

15वें वित्त आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए लागू है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के लिए Tied एवं Untied के रूप में कुल ₹19561.00 करोड़ (उन्नीस हजार पाँच सौ इकसठ करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की राशि अनुशंसित है। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली उक्त अनुदानों की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। विभागीय राज्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 13.09.2021 एवं 5590 दिनांक 22.09.2021 द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निदेश संसूचित है।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निम्नरूपेण राशि उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है:–

राशि करोड़ में।

sr.	Grant for PRIs		Financial Year					Total
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
1	2		3	4	5	6		7
1	Tied (60%)	Suply of drinking water, rain water harvesting & water recycling (30%).	1112.70	1152.60	1165.20	1234.20	1203.60	5868.30
		Status & maintenance of Open Defacation Free (ODF)local body (30%).	1112.70	1152.60	1165.20	1234.20	1203.60	5868.30
		Total	**2225.40**	**2305.20**	**2330.40**	**2468.40**	**2407.20**	**11736.60**
2	Untied (40%)	It is to be utilize at the discretion of the Panchayti Raj Institutions for improving basic services.	**1483.60**	**1536.80**	**1553.60**	**1645.60**	**1604.80**	**7824.40**
Grand Total			**3709.00**	**3842.00**	**3884.00**	**4114.00**	**4012.00**	**19561.00**
उपरोक्त Tied एवं Untied अनुदान दो–दो किस्तों में भारत सरकार द्वारा विमुक्त किये जाने की अनुशंसा है।								

उक्त के आलोक में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Tied एवं Untied के रूप में वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹3709.00 करोड़ रुपये मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹3842.00 करोड़ रुपये मात्र अनुदान की राशि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) को उपलब्ध कराई गई है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹3884.00 करोड़ (अड़तीस अरब चौरासी करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

(ख) 15वें वित्त आयोग (Health Sector Grant)

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Health Sector Grant के उपयोग से संबंधित Operational Guideline जारी किया गया है, जिसके अनुसार पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए कुल ₹48,02,88,00,000.00 (अड़तालीस अरब दो करोड़ अठासी लाख रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण प्राप्त होना प्रस्तावित हैः–

(Amt In Crore)

Sr. No.	Item		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total (2021-26)
1	Support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities	Sub centres	157.11	157.11	164.96	173.21	182.02	834.41
		PHCs	172.79	172.79	181.42	190.50	200.22	917.72
2	Block level public health units		49.47	49.47	51.94	54.54	57.27	262.69
3	Building-less sub centres, PHCs, CHCs		329.29	329.29	345.60	363.00	381.10	1748.28
4	Conversion of rural PHCs & sub centres into health & wellness centres		195.81	195.81	205.60	215.88	226.68	1039.78
Total Health Grants			**904.47**	**904.47**	**949.52**	**997.13**	**1047.29**	**4802.88**

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली Health Sector Grant की राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य से संबंधित निम्न कार्यों पर किया जाना हैः–

a) Support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities.
b) Block level public health units.
c) Building-less Sub centres, PHCs, CHCs.
d) Conversion of Rural PHCs and Sub Centres into Health and Wellness Centre.

3. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243(छ) में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए पंचायतों को अधिदेशित किया गया है। केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायत का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। स्वशासी सरकार के रूप में पंचायतों से अपेक्षा है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के उपेक्षित एवं सुविधाओं से वंचित आमजनों की पहचान कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक विकास की सहभागितापूर्ण प्रक्रिया से जोड़ा जाए और एक उत्तरदायी व्यवस्था कायम की जाए।

उपर्युक्त आलोक में पंचायती राज विभाग द्वारा ''सबकी योजना सबका विकास'' की परिकल्पना को निहित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना का कार्यान्वयन किया गया है। इसके तहत राज्य स्तर पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ग्राम पंचायत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने एवं ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

4. प्रखण्ड पंचायत विकास योजना (BPDP) एवं जिला पंचायत विकास योजना (DPDP)

वर्ष 2023–24 हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में प्रखण्ड पंचायत विकास योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

5. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए लागू किया गया है। इस संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों यथा– जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के बीच राशि का वितरण क्रमशः 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा। पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने वाली राशि तीन शीर्षों/बिन्दुओं (षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा प्रतिवेदन के अध्याय–8 की कंडिका 8.28 8.29, 8.30 एवं 8.31 में विकास निधि, अनुरक्षण निधि एवं सामान्य निधि में वर्णित अवयवों/घटकों के आलोक में) से संबंधित कार्यों में आनुपातिक रूप से विभाजित करते हुए उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित हैः–

विकास निधि (Development Fund)	:	30 प्रतिशत
अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund)	:	20 प्रतिशत
सामान्य निधि (General Fund)	:	50 प्रतिशत

पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकास निधि (Development Fund) एवं अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund) का उपयोग आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुरूप किया जाएगा। सामान्य निधि की 50 प्रतिशत राशि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु कर्णांकित होगा। शेष 50 प्रतिशत की राशि का उपयोग इन संस्थाओं द्वारा आयोग की अनुशंसा के अनुरूप किया जाएगा।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹3261.22 करोड़ रुपये मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल ₹3756.81 करोड़ रुपये मात्र अनुदान की राशि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) को उपलब्ध कराई जा रही है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹3588.00 करोड़ (पैंतीस अरब अट्ठासी करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

6. राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) :

पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए राज्य स्तर पर राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5749 दिनांक 24.09.2020 द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा आम लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ''बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी'' को बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया है। संस्थागत अधोसंरचना इकाई के तहत राज्य के 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित करने का आदेश निर्गत है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी जिला परिषदों को भवन का मॉडल, मानक प्राक्कलन एवं राशि उपलब्ध करा दी गयी है। अबतक कुल 3 जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन का निर्माण कर लिया गया है एवं शेष जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही राज्य स्तर पर राज्य पंचायत संसााधन केन्द्र हेतु भवन के निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

7. मुख्यमंत्री निश्चय योजनाः

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ''सात निश्चय'' लिये गये हैं जिनमें से दो निश्चयों का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है, जो निम्नवत् हैः–

(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्ति की छोटी–छोटी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली जा रही है। ग्राम पंचायत के वार्डों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, सबमर्सिवल पम्प एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जा रही है। पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के लिए स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। विभिन्न विशिष्टियों के अनुसार मानक प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर ग्राम पंचायतों को भेजा गया है। स्थानीय आवश्यकतानुसार मानक प्राक्कलन के आधार पर विशिष्ट योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर क्रियान्वित किया जा रहा है। मानक प्राक्कलन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की सहायता से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा कोटेशन के आधार पर भी प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों का अवयववार कार्यान्वयन कराया जा सकेगा। विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण होन के उपरांत कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के आधार पर ही भुगतान करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में 58003 वार्डों में लगभग 67000 योजनाएँ हैं। वर्त्तमान में 57767 वार्डों में जल की आपूर्त्ति की जा रही है। अवशेष बचे हुए लगभग 520000 गृहों में भी शत–प्रतिशत जल की आपूर्त्ति करने का लक्ष्य है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस योजना से लगभग 96 लाख परिवारों को पेयजल का कनेक्शन दिया जा चुका है। साथ ही अवशेष बसावटों का कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 7326 छोटी–छोटी बसावटों में पेयजल आपूर्त्ति की जानी है, जिसे जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाः– इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत बसावटों की सम्पर्कता एवं ग्राम के अन्तर्गत गली–नाली के पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सोलिंग, पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण (नाली के साथ) की छोटी–छोटी योजनाएँ चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिक परिस्थियों, यथाः– मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली–नाली निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं।

मानक प्राक्कलनों की तैयारी में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की सहायता ली गई है। इस योजना में आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की भी व्यवस्था की गई है। हर घर को पक्की गली–नाली से जोड़ने के निश्चय का कार्यान्वयन तीव्र गति से चल रहा है। इस योजना के तहत 114507 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। छोटी–छोटी अवशेष बसावटों का कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 1.95 लाख उप–योजनाओं का कार्य किया जाना है, जिसे जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन राज्य योजना मद की राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय (चौदहवाँ/पंचम) वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि एवं राज्य (पंचम/षष्ठम) वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होनेवाली प्रतिनिधायन की राशि एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर की जा रही है।

मुख्यमंत्री निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹200.00 करोड़ (दो अरब रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

8. जल–जीवन–हरियाली अभियानः

इस योजना के तहत सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं कुँओं के किनारे सोख्ता का निर्माण कार्य किया जाना है। जल–जीवन हरियाली अभियान के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्रदत्त Untied अनुदान की राशि से जीर्णोद्धार योग्य पाये गये 36171 अदद् सार्वजनिक कुँओं में से 15333 कुँओं का जीर्णोद्धार एवं 8163 सोख्ताओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना के तहत किये गये कार्यों की प्रविष्टि जल–जीवन हरियाली पोर्टल पर की जा रही है।

9. सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट योजना :

सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक किया जाना है। यदि कोई क्षेत्र छूट जायेंगे तो अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन किया जाएगा एवं रख–रखाव अगले पाँच वर्ष तक जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीवद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी, जिनका रख–रखाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 5465 दिनांक

17.09.2021 एवं पत्रांक 7335 दिनांक 29.07.2022 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश संसूचित है। इस योजना के कार्यान्वयन में व्यय होने वाली राशि में से 75 प्रतिशत धनराशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से पंचायतों को प्राप्त होने वाली Untied अनुदान की राशि से व्यवस्था की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य योजना/षष्ट्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाले अनुदान से किया जाना है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य योजना एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद से प्रत्येक पंचायत के 4 वार्डों में पूर्णरूप से सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु कुल ₹2,47,13,16,078.00 (दो अरब सौंतालीस करोड़ तेरह लाख सोलह हजार अठहत्तर रूपये) मात्र की राशि जिलों को उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक पंचायत के अवशेष वार्डों में आगामी वित्तीय वर्ष में सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹392.00 करोड़ (तीन अरब बानवें करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

10. पंचायत निश्चय सॉफ्ट से पारदर्शिता :

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं यथा–मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, पंचायत सरकार भवन, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप–केन्द्र का निर्माण आदि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का सतत् अनुश्रवण *पंचायत निश्चय सॉफ्ट* के माध्यम से किया जा रहा है। योजना का ब्यौरा, भौतिक प्रगति, निरीक्षण, राशि का हस्तान्तरण, योजनाओं का फोटोग्राफ एवं Geo Tagging आदि से संबंधित सूचनाएँ इस वेबसाईट पर पर प्रदिर्शित हैं। भविष्य में इसमें क्रय की जाने वाली सामग्री एवं श्रमिको को दी जाने वाली मजदूरी, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि भी प्रदर्शित करने की योजना है। यह वेबसाईट Public Domain पर उपलब्ध है।

11. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA):

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इस योजना को पुनर्गठित करते हुए इसे दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक के लिए प्रभावी किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण, मानव संसाधन, सूचना प्रौधोगिकी सुविधा का सुढ़ृढ़ीकरण एवं क्षमतावर्द्धन, ई–गवर्नेंस ढांचा के विकास का आधुनिकीकरण आदि है।

इस योजना के माध्यम से वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु 09 विषयों को धरातल स्तर पर प्राप्त करने के लिये पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका तय की गई है तथा क्षमतावर्द्धन इकाई अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्मित करने से संबंधित विषय पर राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षकों, निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों, कर्मियों जीविका समूह के सदस्यों एवं लाईन विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसी प्रकार राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) मद से कुल 500 पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु ₹20.00 लाख प्रति भवन की दर से ₹100.00 करोड़ रूपये मात्र की राशि कर्णांकित है, जिसमें अबतक 493 संबंधित पंचायत सरकार भवनों के लिए कुल ₹71.20 करोड़ रूपये मात्र की राशि संबंधित जिलों को आवंटित की गई है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्रांश के रूप में ₹52.00 करोड़ (बावन करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश के रूप में ₹17.33 करोड़ (सतरह करोड़ तैतीस लाख रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

12. पंचायत सरकार भवन

राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर संचालित सभी विभागों को एक छत के नीचे लाने की परिकल्पना राज्य सरकार द्वारा की गयी है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया। भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, पंचायत स्टैंडिंग कमिटि के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय आदि का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त बाढ़ एवं अन्य आपदाओं में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। 8057 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। अबतक राज्य के कुल 3200 पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 1485 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अवशेष निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों को जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। पंचायत सरकार भवन के सुरक्षा एवं साफ–सफाई हेतु भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सुरक्षा तथा पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से सभी पंचायत सरकार भवनों में CCTV कैमरा अधिष्ठापित किये जाने की योजना है। इस

योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹340.00 करोड़ (तीन अरब चालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

11. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रणः

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा– केन्द्रीय (चौदहवाँ/पंचम) वित्त आयोग एवं राज्य (पंचम/षष्ठम) वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं, मुख्यमंत्री निश्चय योजना (ग्रामीण गली–नाली तथा पेयजल निश्चय योजना), मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाईट निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन योजना आदि का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9026 दिनांक 30.10.2017 एवं 4599 दिनांक 19.07.2019 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित प्रशासनिक एवं तकनीकी शक्तियों के अधीन किया जा रहा था।

उक्त विभागीय संकल्प में संशोधनोंपरांत पुनः विभागीय संकल्प संख्या 9862 दिनांक 14.10.2022 द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक एवं तकनीकी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, जो निम्नरूपेण हैंः–

क्र०	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू० तक
2	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्	प्रशासनिक	एक करोड़ रू० तक
3	कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति	प्रशासनिक	तीस लाख रू० तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	बीस लाख रू० तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू० तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू० तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रू० तक
8	कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक	तकनीकी	बीस लाख रू० तक

अद्यतन संशोधनों के अनुरूप उप विकास आयुक्त के स्थान पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को एक करोड़ रूपये तक तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्थान पर कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को तीस लाख रूपये की वित्तीय अधिसीमा तक प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रत्यायोजित की गई है।

12. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ताः

संविधान के 73 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जन सहभागिता प्राप्त करने के

लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है।

तद्नुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2517 दि० 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच को पूर्व से स्वीकृत यथास्थिति नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता एवं विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 से दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (मासिक) भत्ता की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय/भत्ता भुगतान हेतु कुल ₹226.00.00 करोड़ (दो अरब छब्बीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

13. अंकेक्षण

1. पंचायती राज विभाग द्वारा आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा का गठन किया जा चुका है। इस सेवा के अधीन चार श्रेणियों के पदों यथा अंकेक्षक, वरीय अंकेक्षण अधिकारी, जिला अंकेक्षण अधिकारी तथा मुख्य अंकेक्षण अधिकारी का कुल 589 सृजन किया गया है। मूल पद अंकेक्षक की नियुक्ति बिहार लोक आयोग, पटना द्वारा प्रक्रियाधीन है। आयोग द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा लिया जा चूका है। नियुक्ति उपरान्त सुचारू ढ़ंग से पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरियों का अंकेक्षण कार्य सुनिश्चित हो जायेगा।

2. आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को मजबूत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरियों का योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किये जाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। उक्त के आलोक में अबतक 38 जिलों में योग्य सी0ए0 फर्मों का चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अंकेक्षण कार्य जारी है।

3. 15वें वित्त की अनुशंसा की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल ग्राम पंचायतों (8387 ग्रा0पं0) का 25 प्रतिशत (2097 ग्रा०पं०) ग्राम पंचायतों का Audit Online करने का लक्ष्य MoPR द्वारा निर्धारित किया गया था।

उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल 2136 (25 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों का Audit Online Portal पर कराते हुए अंकेक्षण प्रतिवेदन upload कर लक्ष्य प्राप्त किया गया।

4. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 से शत–प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं का ऑडिट ऑनलाईन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 99 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 94 प्रतिशत पंचायत समितियों एवं 95 प्रतिशत जिला परिषद का ऑडिट ऑनलाईन कर Portal पर upload किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 27 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं 16 प्रतिशत पंचायत समितियों का ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर Upload किया गया है। स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा 30.06.2023 तक शत–प्रतिशत ऑडिट ऑनलाईन पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

14. नियमावलियों का गठनः

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु अबतक निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई हैं :–

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006

(ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

(iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(iv) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2007

(v) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

(vi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008

(vii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2008

(viii) बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010

(ix) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011

(x) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xi) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण–प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xii) बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014

(xiii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

(xiv) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा पुनः ली गयी)

(xv) बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015

(xvi) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (नियत फीस ₹2500.00 से ₹7000.00 की गयी)

(xvii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (चुनाव खर्च की अधिसीमा निर्धारण से संबंधित)

(xviii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (आरक्षण निर्धारण किया गया)

(xix) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016 (प्राप्तांक समान रहने की दशा में निर्णय लिया जाना)

(xx) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017

(xxi) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2017

(xxii) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 17, 2017)

(xxiii) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 17, 2017)

(xxiv) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018

(xxv) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxvi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxvii) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxviii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2021

15. प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ एवं पद सृजनः

(क) राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियमित निरीक्षण को सशक्त करने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि की है। पूर्व में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 528 पद थे, जिन्हें बढ़ाकर 716 कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित एवं अनुशंसित 161 (एक सौ इकसठ) प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए विभिन्न प्रखण्डों में पदस्थापित किया गया है, जिससे प्रखण्डों में पदस्थापित प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारियों की संख्या 448 हो गई है।

(ख) बिहार पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का नियमित अंकेक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान के क्रम में बिहार पंचायत राज अंकेक्षण सेवा का गठन किया गया है और 373 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर सेवानिवृत्त अंकेक्षकों की सेवा लेकर व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा पंचायत सचिवों के 3127 पदों की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई गई है, जिसे जिलों को अधियाचित पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेज दी गई है। अबतक लगभग 2692 पंचायत सचिवों के नियुक्ति की प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(घ) पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिकों की व्यवस्था हेतु कुल 9899 (नौ हजार आठ सौ निन्यानवें) पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है।

16. सूचना का अधिकारः

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित की गयी है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभाग (मुख्यालय) एवं राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) **<u>विभाग (मुख्यालय) स्तर पर</u>** :–

(i) **लोक सूचना पदाधिकारी** – प्रशाखा पदाधिकारी

(ii) **सहायक लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

(iii) **प्रथम अपीलीय प्राधिकार** – उप सचिव

(2) **जिला परिषद् स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(3) **पंचायत समिति स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) **ग्राम पंचायत स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

17. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 (मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक):

क्र०	आवेदनों का वर्गीकरण	प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या	कुल निष्पादित	शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	विभागीय स्तर पर सुनवाई हेतु	1574	1574	0
2	प्रथम अपील	4	3	1
3	द्वितीय अपील	55	7	24
4	अंतरण	1531	1531	0
5	निगेटिव	43	43	0
कुल योग :–		**3207**	**3158**	**25**

18. <u>राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारः</u>–

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2022 (आधार वर्ष 2020–21) की विभिन्न श्रेणियों हेतु बिहार राज्य अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों को पुरस्कृत किया गया हैः–

(a) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP),2022

जिला परिषदः–

1. ***नवादा***

पंचयत समितिः–

1. जिला वैशाली अंतर्गत पंचायत समिति ***वैशाली***
2. जिला बक्सर अंतर्गत पंचायत समिति ***इटाढ़ी***
3. जिला लखीसराय अंतर्गत पंचायत समिति ***लखीसराय***
4. जिला नालन्दा अंतर्गत पंचायत समिति ***इस्लामपुर***

ग्राम पंचायतः–

1. जिला वैशाली के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **मांगनपुर**
2. जिला जहानाबाद के जहानाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **मांदिल**
3. जिला गया के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **बीकोपुर**
4. जिला खगड़िया के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **तेलीहार**

(b) नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP) 2022:–

1. जिला जहानाबाद के जहानाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **मांदिल**

(c) बाल हितैसी ग्राम पंचायत पुरस्कार (CFGPA) 2022:–

1. जिला नालन्दा के हरनौत प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **सुडारी**

(d) ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (GPDPA) 2022:–

1. जिला वैशाली के हाजीपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **अंधरवाड़ा**

परिशिष्ट–1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	533
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8057
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8057
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	109554
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8057
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11092
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1159
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	109554
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8057
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल कार्यरत संख्या	5111
12	ग्राम पंचायत सचिव की कुल रिक्त संख्या	3298
13	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	6927
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	7643
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	716

क्र०	राज्य स्कीम का नाम	2023–24 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
मांग संख्या–16 (पंचायती राज विभाग)		
1	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	₹20000.00
2	मुख्यमंत्री निश्चय योजना–2	₹39200.00
3	निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	₹22600.00
4	पंचायत सरकार भवनों के निर्माण	₹34000.00
5	पंचायत समिति सरकार भवनों के निर्माण	₹0.01
6	ग्राम पंचायतों के विविध मदों हेतु	₹0.01
7	ग्राम कचहरी के विविध मदों हेतु	₹800.00
8	राज्य पंचायत संसाधन संस्था को अनुदान	₹1000.00
9	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	₹6933.00
10	संविदा कर्मियों के मानदेय	₹4171.98
11	अनुग्रह अनुदान	₹400.00
12	प्रशिक्षण व्यय	₹300.00
13	**कुल (क्र०–1 से 12 तक)**	**₹129405.00** (बारह अरब चौरानवें करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र
मांग संख्या–35 (योजना एवं विकास विभाग)		
14	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	₹1000.00
15	**कुल (क्र०–13)**	**₹1000.00** (दस करोड़ रुपये) मात्र
मांग संख्या–03 (भवन निर्माण विभाग)		
16	विभाग का आधुनिकीकरण	₹300.00
17	**कुल (क्र०–15 का)**	₹300.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र
18	**सकल कुल (क्र०–11+13+15) :–**	**₹130705.00** (तेरह अरब सात करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

क्र०	मुख्य शीर्ष / कार्यक्रम	2023–24 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	₹ 63601.69
2.	पन्द्रहवाँ वित्त आयोग (Untied Grant)	₹ 155360.00
3.	पन्द्रहवाँ वित्त आयोग (Tied Grant)	₹ 233040.00
4.	पन्द्रहवाँ वित्त आयोग (Health Grant)	₹ 94952.00
5.	राज्य वित्त आयोग (षष्ठम्) की अनुशंसा के आलोक में अंशदान	₹ 358800.00
मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन		
6.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	₹ 776.24
7.	पंचायत निर्वाचन	₹ 5700.00
मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
8.	स्थापना	₹ 284.81
कुल :–		**₹ 912514.74**
		इक्कयानवें अरब पच्चीस करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु मांग संख्या–16 का कुल योग (राज्य स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

₹130705.00 + ₹912514.74 = ₹1043219.74 लाख

(एक सौ चार अरब बत्तीस करोड़ उन्नीस लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र)

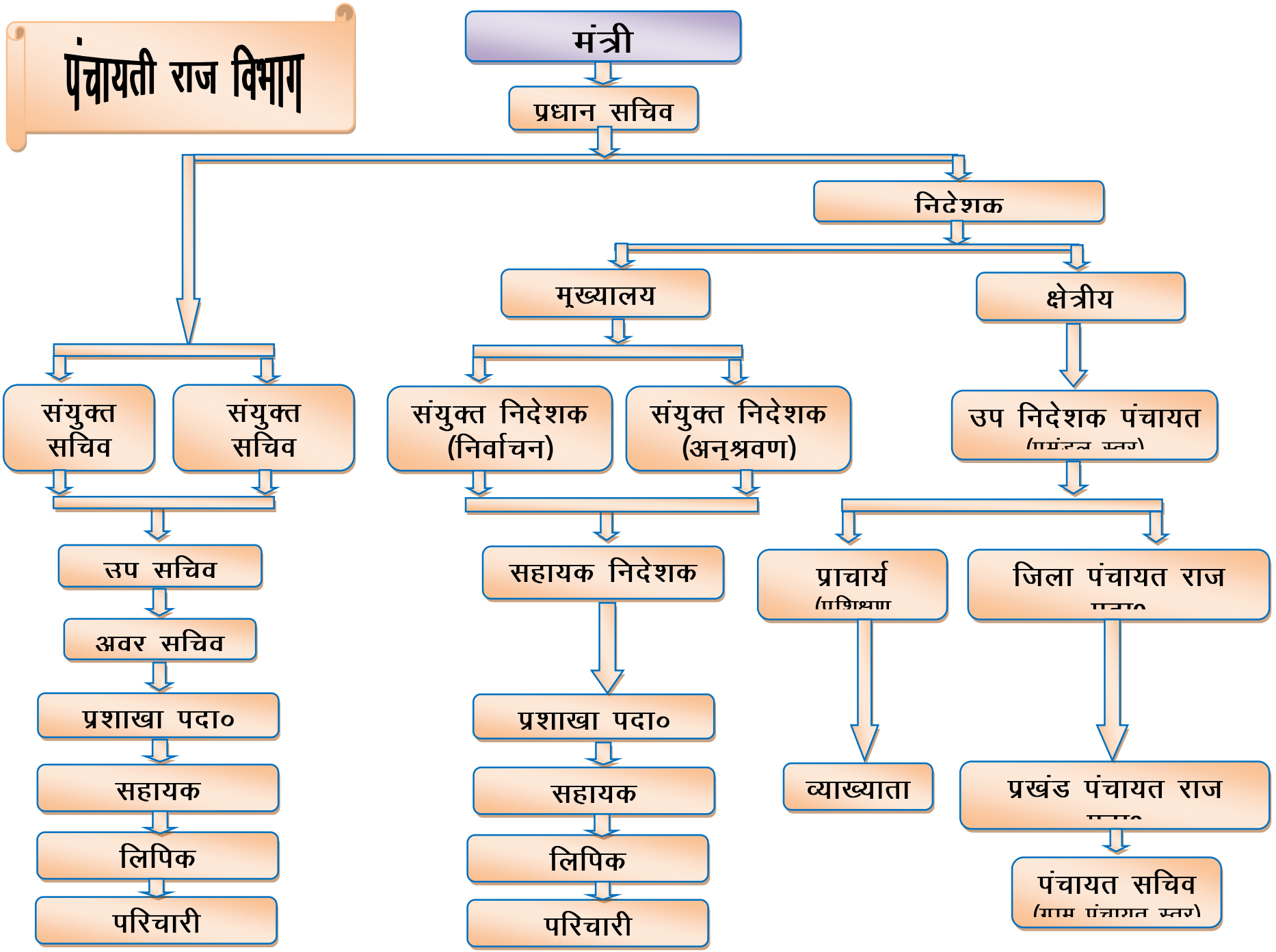
पंचायती राज विभाग
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशक
मुख्यालय
क्षेत्रीय
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव
संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
उप निदेशक पंचायत
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
सहायक निदेशक
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
प्राचार्य
व्याख्याता
जिला पंचायत राज
प्रखंड पंचायत राज
पंचायत सचिव

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत/सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	01	01	00	
2.	निदेशक	01	00	01	
3.	अपर सचिव/संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव	01	01	00	
4.	संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)/संयुक्त सचिव	01	00	01	
5.	संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)/संयुक्त सचिव	01	00	01	
6.	उप सचिव	02	01	01	
7.	अनुश्रवण पदाधिकारी	01	01	00	
8.	सहायक निदेशक	01	00	01	
9.	अवर सचिव	02 (01–बि०स०से०, 01 बि०प्र०से०)	01	01	सचिवालय सेवा संवर्ग के एक अवर सचिव संविदा पर कार्यरत
10.	उप राज्य आयोजक	01	00	01	
11.	योजना पदाधिकारी	01	00	01	
12.	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर)	01	00	01	
13.	शाखा आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	01	00	01	
14.	विशेष कार्य पदाधिकारी	01	03	00	
15.	प्रशाखा पदाधिकारी	11	06	05	कुल 03 संविदा पर कार्यरत
16.	सहायक	44	13	31	
17.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	00	01	
18.	प्रधान आप्त सचिव	01	00	01	
19.	आप्त सचिव	01	02	00	
20.	निजी सहायक	02	00	02	

21.	आशुलिपिक	02	02	00	
22.	सचिव के सचिव	01	00	01	
23.	उच्च वर्गीय लिपिक	08	02	06	
24.	निम्न वर्गीय लिपिक	12	10	02	
			03		क्षेत्रीय कार्यालय से तीन प्रतिनियुक्त
25.	लेखापाल	01	00	01	
26.	रोकड़पाल	01	00	01	प्रतिनियुक्ति पर एक निम्न वर्गीय लिपिक कार्यरत
27.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय)	28	21	07	
28.	प्रधान अनुदेशक	01	00	01	
29.	कलाकार–सह–संगणक	01	00	01	
30.	वाद्य अनुदेशक	01	00	01	
31.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	05	34		कुल 34 (आउटसोर्सिंग / बेल्ट्रॉन से संविदा पर कार्यरत)
32.	चालक	02	00	02	
			07		कुल 07 (आउटसोर्सिंग पर कार्यरत)
33.	कोषागार संदेश वाहक	01	00	01	
34.	कार्यालय परिचारी	18	06	12	कुल 01 संवदिा पर कार्यरत
35.	आई०टी० ब्यॉय / गर्ल	-	15		कुल 15 (आउटसोर्सिंग / बेल्ट्रॉन से संविदा पर कार्यरत)

नोटः– क्रमांक 31 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 05 (पाँच) पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 34 (चौतीस) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग